

उपनिधान एवं गिरवीरूपी उपनिधान
 (BAILEMENT AND PLEDGE)
 (Section - 148 - 181)

उपनिधान का अर्थ (Meaning of Bailment)

उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा के अर्हतगत माल का परिधान करना है कि उस प्रयोजन के पूर्ण हो जाने पर वह माल परिधान करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिया जायगा अथवा परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जायगा। उदाहरण के लिए घड़ी या साइकिल, या स्मूटर या रेडियो मरम्मत के लिए देना, ड्राई क्लीनर को कपड़ा धोने के लिए देना, उपनिधान है। माल का परिधान करने वाले व्यक्ति को उपनिधाना (Bailee) कहते हैं और जिसको माल दिया जाता है उसे उपनिधिती (Bailor) कहते हैं।

ध्याय-148 उपनिधान के अर्थ को दर्शाता है।

निम्नलिखित उपनिधान के लिए निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है-

- (1) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का परिधान होना चाहिए।
- (2) परिधान इस संविदा पर होना चाहिए कि प्रयोजन पूरा होने के बाद उसे Bailee को लौटा दिया जायगा या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य को (conspire of) दिया जायगा।
- (3) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन हेतु माल का परिधान होना चाहिए - उपनिधान के लिए माल का परिधान होना अनिवार्य है। उपनिधान केवल चल सम्पत्ति का होता है, अचल सम्पत्ति का उपनिधान नहीं होता है। Bailment के लिए माल का कब्जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता आवश्यक है। इसमें माल का स्वामित्व Bailee के पास ही रहता है, लेकिन केवल माल का कब्जा Bailee को दिया जाता है। माल का परिधान वास्तविक (Actual) अथवा प्रत्यक्ष (Constructive) हो सकता है। जब माल का भौतिक कब्जा Bailee द्वारा Bailee को दिया जाता है तो इसे वास्तविक परिधान कहते हैं।

[P.2] उपनिधान (Bailment) -

परन्तु माल का कब्जा वस्तुतः न दिया जाय बल्कि कोई ऐसा कार्य किया जाय जिससे माल का कब्जा लेने का अधिकार Bailee को प्राप्त हो जाय तो उसे प्रत्यक्ष (Constructive) परिधान कहते हैं। धारा 149 उल्लेखनीय है। इसके अनुसार Bailee को माल का परिधान ऐसा कबूत करने के द्वारा किया जा सकेगा जिसका प्रदाय उस माल को आशयित Bailee के या उसकी ओर से धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो। उदाहरण के लिए माल स्वामिन्यत मिष्टी देना या गोदाम की कुंजी देना प्रत्यक्ष परिधान है। प्रत्यक्ष प्रदान में माल अपने स्थान पर ही रहता है परन्तु कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसका प्रभाव यह होता है कि माल Bailee के कब्जे में आ जाता है या उसे माल प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। यदि वह व्यक्ति जो किसी अन्त के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है, उसका धारण Bailee के रूप में करने की संवेदा करना है तो वह इस प्रकार Bailee हो जाता है और माल का स्वामी Bailor ही जाता है। उदाहरण के लिए अन्त को अपनी कार बेच देता है परन्तु न, अ को करता है कि वह 6 माह के अपने पास रखे। यह प्रत्यक्ष उपनिधान है। कार के ही पास है परन्तु पहले वह उसका स्वामी था, परन्तु विक्रय के बाद वह उसका Bailee हो गया।

न्यू इण्डिया इश्योरेंस कंपनी बनाम दिल्ली जैलपमेंट अथॉरिटी के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि माल का कब्जा Bailee को देना Bailment के निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के वाहन खड़ा करने के स्थान पर अपना वाहन खड़ा करता है और जिस व्यक्ति का वह स्थान है वाहन के स्वामी को इस निमित्त रसीद देता है कि वह एक निश्चित अवधि में वाहन की देख-रेख करेगा तो Bailment का निर्माण हो जायगा और यदि वाहन की उचित देख-रेख नहीं की जाती है तो वह व्यक्ति जिसका वह स्थान है और जिसने वह रसीद दिया, वाहन की हानि के लिए दायी हो जायगा। इस मामले में वादी ने अपना वाहन प्रतिवादी के यहाँ खड़ा करने के लक्ष्य पर अपना वाहन खड़ा किया और प्रतिवादी ने एक निश्चित अवधि के लिए वाहन की देख-रेख के निमित्त रसीद दिया। प्रतिवादी द्वारा वादी के वाहन की सही रूप से देख-रेख नहीं किये जाने के कारण वाहन खो गया। प्रतिवादी को इसके लिए दायी ठहराया गया।

P-3 उपनिधान (Bailment)

(2) परिधान हस्तान्तरण पर होना चाहिए कि प्रगोहन पूरा होने के बाद उसे Bailee को लौटा दिया जाना था। इसके निर्देशानुसार अग्रणी व्यक्ति (Grantee of) किया जाएगा — उपनिधान में Bailee द्वारा Bailee को माल का परिधान किसी विशेष प्रगोहन के लिए किया जाता है और यह रहती है कि उस प्रगोहन के पूरा होने पर वह माल Bailee को वापस कर दिया जाएगा या Bailee के निर्देशों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यह Bailment को विक्रय या दान से गिना कर देता है। विक्रय या दान में माल का परिधान क्रेता या आदाता को दिया जाता है, परन्तु क्रेता या आदाता उसे विक्रेता या दाता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होता है।

शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि Bailment में जो माल या वस्तु Bailee को दी जाती है वही माल या वस्तु उसी रूप में या परिवर्तित रूप में Bailee द्वारा Bailee को लौटायी जाती है। उदाहरण के लिए आभूषण बनाने के लिए सोनाह को स्वर्ण देना उपनिधान है। इस स्थिति में पुनः आभूषण परिवर्तित रूप में Bailee को वापस करने के दायित्वाधीन है। यदि ऐसी स्थिति में नहीं है तो यह उपनिधान नहीं है। उदाहरण के लिए बैंक में भण्डा जमा करना Bailment नहीं है क्योंकि बैंक वही नोट वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। (यदि नोट को जमाकर्ता ने जमा किया)।

न्यायालय के निर्णय एवं उपनिधान की परिभाषा तथा शर्तों से स्पष्ट होता है कि उपनिधान के लिए Bailee को माल का कब्जा वस्तुतः या प्रत्यक्ष देना आवश्यक है। यदि कब्जा Bailee के पास रहता है और उसका कब्जा वस्तुतः या प्रत्यक्ष Bailee को नहीं दिया जाता है तो विधिमान्न उपनिधान (Lawful Bailment) का निर्माण नहीं हो सकता।